

पत्रांक :12/प्र0अ0(त0स0-2)/जोन-2/शमन/2015-16 दिनांक 25/04/2016

विनियमितीकरण-पत्र

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर आवासीय शमन निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।




श्री श्याम कुमार, श्री वसुदेव कुमार, पुत्रगण श्री गुरुमुख दास, एवं श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री श्याम कुमार, श्रीमती पायल केसरवानी पत्नी श्री वसुदेव कुमार द्वारा नजूल प्लॉट नं0-12 सबडिविजन प्लॉट नं0-12/1 लूकरगंज इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. मानचित्र में लाल रंग से दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर ध्वस्त कराना होगा एवं इस सम्बन्ध में दिये गये शपथ पत्र (95AC 912967 दिनांक 14.03.2016) का अक्षरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
5. अशमनीय भाग को कुशल स्ट्रक्चरल इन्जीनियर की देख-रेख में ध्वस्त कराया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी प्रकार की भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रभावित न होने पाये।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग एकल आवासीय प्रयोजन हेतु ही अनुमन्य होगा।
7. पूर्व स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या-166/प्र0अ0-भवन/जोन-2/2010-11 दिनांक 21.01.2012 में अंकित शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत् प्रभावी रहेंगी।
8. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(पुष्कर श्रीवास्तव)

विशेष कार्याधिकारी

4/6/16



TOTAL AREA OF PLOT = 868.73 SQ.MT.
 SANCTIONED ON G.F. = 276.33 SQ.MT.
 SANCTIONED ON F.F. = 276.33 SQ.MT.

S.N	FLOOR	EXISTING SANCTION	F.S.B.	R.S.B.	R.E.S.T.	OPEN	TOTAL
1	GROUND	276.33	18.86	18.86	18.86	18.86	351.77
2	FIRST	276.33	18.86	18.86	18.86	18.86	351.77
3	ROOF	18.86	18.86	18.86	18.86	18.86	74.36
DISINFEST OPEN TOTAL							74.36
TOTAL							726.13

SANCTION & COMPILING RESIDENTIAL
 BUILDING PLAN NO. 276.33
 N.C.-12-BIB-30/2004 PLOT NO.-276
 UNDER THE PROVISIONS AND TERMS OF THE
 ALUMINUM
 ORDER: 1. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 2. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 3. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 4. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 5. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 6. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 7. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 8. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 9. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.
 10. THE BUILDING SHALL BE CONSTRUCTED AS PER THE SANCTIONED PLAN.

THIS IS TO CERTIFY THAT THIS
 MAP IS ACCORDING TO BUILDING
 BYE LAWS 2012 AND ALUMINUM
 MASTER PLAN-2021
 AS CONSULTANTS
 M. K. SINGH & SONS
 61/72A, MRS. ALKESH, ALKESH

8-11-2021
 M. K. SINGH & SONS
 61/72A, MRS. ALKESH, ALKESH

